अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

रावताराम पुत्र ईश्वराराम जाति मेघवाल निवासी छ्वालापुर तह० सिणधरी जिला - बालोतरा।

बनाम

जेठाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी छ्वाल नगर तह० सिणधरी जि- बालोतरा

मुकदमा संख्या 230 /2025

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
8/10/25	यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री पाबूराम मेघवाल अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. रा. अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. जारी करनें का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण /उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते–प्रतिवादीगण/ विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 11/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी पुनश्च: पत्रावली तलबा बोर्ड आने 30-10-25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	
30.10.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण सीमाज्ञान की स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में पेश किया गया है, जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन बाद स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के पुनः बरामद करवाये जाने के हको को सुरक्षित रखते हुए आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:08:00 IST
Reason: SelfAttested